# नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 5852/एडमिन (बी–II) सैक्शनः इलाहाबाद, दिनांकित 30 अक्टूबर, 2025 व माननीय जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर के आदेश दिनांकित 13.11.2025 के अनुपालन में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में उपयोग में लिये जा रहे राजकीय वाहन टाटा मान्जा (UP 13 AG0212) निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के कारण, उपर्युक्त राजकीय वाहन टाटा मान्जा (UP 13 AG0212) की नीलामी दिनांक 24.11.2025 को होना निश्चित हुई थी। दिनांक 24.11.2025 तक उक्त नीलामी हेतु केन्द्रीय नजारत में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण, उक्त नीलामी को प्रकिया को दिनांक 29.11.2025 हेतु स्थगित किया गया था। पुनः दिनांक 29.11.2025 तक उक्त नीलामी हेतु केन्द्रीय नजारत पर कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त नीलामी की प्रक्रिया को दिनांक 06.12.2025 हेतु स्थगित किया गया है। अतः राजकीय वाहन टाटा मान्जा (UP 13 AG0212) की नीलामी की बोली दिनांक 06.12.2025 को सायं 04:30 बजे वीडियों कान्फ्रेन्सिंग कक्ष, अष्ठ कक्षीय न्यायालय भवन में बोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 06.12.2025 को दोपहर 02:00 बजे अपराह्न तक प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित न्यूनतम सरकारी बोली का 10 प्रतिशत केन्द्रीय नजारत पर जमा करना सुनिश्चित करें। जिसके उपरान्त उन्हीं व्यक्तियों को उपरोक्त बोली में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

## नीलामी की शर्तें

1. बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. बोली बोलने से पूर्व सरकारी बोली का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
3. बोली स्वीकार होने की दशा में सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
4. माननीय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को किसी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दें।
5. बोली बोलने वाले व्यक्ति को समय–समय पर मा0 जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर के निर्देशों का पालन करना होगा।
6. नीलामी में शामिल होने वाले इच्छुक व्यक्तिगण दिनांक 06.12.2025 से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में उपर्युक्त निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन का अवलोकन कर सकते है। न्यायालय परिसर में आने पर केन्द्रीय नाजिर उपर्युक्त निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन को दिखा देंगे।
7. यदि उपर्युक्त निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन को अभिवहन किया जाता है, तो आपको अन्दर 02 कार्यदिवस उपर्युक्त निष्प्रयोज्य राजकीय वाहन की निकासी करनी होगी।

(शिवा नन्द),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या–03, बुलन्दशहर।

**प्रतिलिपिः** माननीय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित एवं महोदय के अवलोकनोपरान्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हो।

1. श्री शहजाद अली, सदस्य, नीलामी समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–07 को दिनांक 06.12.2025 को सांय 04:30 बजे नीलामी में उपस्थित होने के निवेदन के साथ सादर प्रेषित।
2. श्री अर्जुन, सदस्य, नीलामी समिति/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड), न्याय कक्ष संख्या–02 को दिनांक 06.12.2025 को सांय 04:30 बजे नीलामी में उपस्थित होने के निवेदन के साथ सादर प्रेषित।
3. केन्द्रीय नाजिर को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में खबर के रुप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. प्रतिलिपि, डी.एस.ए. को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर को माननीय जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर महोदय के अवलोकन करने के उपरान्त वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिवा नन्द),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/